रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 1978/आश्विन 17, 1900
No. 457] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1978/ASVINA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1978

का. आ. 590(अ).—बिहार राज्य में मैसर्स राय बहादुर हुरदत्त-राय मोतीलाल जूट मिल प्राइवेट लिमिटेड, कटिहार (जिसे इसमें आगे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) अनुसूचित उद्योग अर्थात् जूट उद्योग में लगा हुआ है,

और उक्त औद्योगिक उपक्रम की बाबत, केन्द्रीय सरकार का अपने कब्जे में के दस्तावेजों और अन्य साक्ष्य से यह समाधान हो गया है कि वह कम से कम तीन मास से उक्त औद्योगिक उपक्रम पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी के स्वतः समापन के कारण या किसी अन्य कारण से बंद पड़ा है और उसके इस प्रकार बंद पड़े रहने से संबंद्ध अनुसूचित उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यह कि उक्त औद्योगिक उपक्रम पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्लांट और उक्त उपक्रम की मशीनरी की स्थिति ऐसी है कि उपक्रम को पुनः प्रारंभ करना संभव है और इस प्रकार पुनः चलाना सामान्य लोक हित में आवश्यक है;

और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का. आ. 507(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1978 के अधिक्रमण में;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों के निकाय की :—

अध्यक्ष

1. श्री के. एल. बजाज, प्रियदर्शिनि एपार्टमेंट पी. ए. 2/7 कोरेगांव रोड, पुणे-1, महाराष्ट्र।

सदस्य

2. श्री के. के. चटर्जी, औद्योगिक सलाहकार जूट आयुक्त का कार्यालय, 20, ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, कलकत्ता-700069।

3. श्री सी. के. बासू, विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. श्री एस. आर. गुरुस्वामी, प्रबंधक (परिव्यय), भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, 4-मैन्गो लेन, कलकत्ता।

5. श्री ए. के. चक्रवर्ती, उप-सामान्य प्रबंधक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, 19, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।

(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत निकाय कहा गया है) उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निदेशों का पालन करेगा,

(2) प्राधिकृत निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेगा,

(3) केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत निकाय की नियुक्ति इससे पूर्व भी समाप्त कर सकेगी। यदि ऐसा करना वह आवश्यक समझे,

(4) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा. सं. 20/15/76-जूट]

एन. एस. वैद्यनाथन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1978

S.O. 590(E).—Whereas Messrs Raj Bahadur Murdutroy Motilall Jute Mills Private Limited, Katihar in the State of Bihar (hereafter referred to as the said industrial undertaking) is engaged in a scheduled industry, namely, Jute Industry;

And whereas from the documentary and other evidence in its possession, the Central Government is satisfied, in relation to the said industrial undertaking that it has been closed for a period of not less than three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such re-starting is necessary in the interests of the general public;

And in supersession of the order S.O. 507(E) dated the 18th August, 1978, of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the body of the persons consisting of:—

CHAIRMAN

1. Shri K. L. Bajaj, Priyadarshan Apartment PA2/7 Koregaon Road, Poona-1, Maharashtra.

MEMBERS

2. Shri K. K. Chatterjee, Industrial Adviser, Office of the Jute Commissioner, 20, British Indian Street, Calcutta-700069.
3. Shri C. K. Basu, Special Secretary, Department of Industry, Government of Bihar, Patna;
4. Shri S. R. Guruswamy, Manager (Costing), Industrial Finance Corporation of India, 4 Mangoe Lane, Calcutta;
5. Shri A. K. Chakravorty, Deputy General Manager, Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, 19, Netaji Subhash Road, Calcutta.

(hereinafter referred to as the authorised body), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely:—

(1) The authorised body shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(2) The authorised body shall hold office for a period of five years from the date of publication of this order in the official Gazette;

(3) The Central Government may terminate the appointment of the authorised body earlier if it considers necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of three years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 20/15/76-Jute]

N. S. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978